1254

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0 / एस0एस0 –1 / श0स्था0नि0 / 1447/2183 दिनांकः– 16.1.15

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर परिषद, डुमरांव के वर्ष 2012–13 से 13–14 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 612/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

16/01/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
23 JAN 2015
संख्या 738
बिहार, पटना

10/2/15

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या– 612 / 14–15
भाग– I
प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	कार्यालय, नगर परिषद् डुमरांव
2	निरीक्षण का वर्ष एवं कार्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 तक संबंधित लेखा अभिलेखों की जाँच
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	01.04.2012 से 31.03.2014 तक
4	लेखापरीक्षा की अवधि	17.06.2014 से 30.06.2014 तक
5	कार्यालय प्रधान का नाम	
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यों के नाम	श्री विश्वपति सिंह, स.ले.प.अ. श्री चितरंजन कुमार, स.ले.प.अ. श्री चन्दन पासवान, ले.प. श्री राकेश कुमार सिंह, ले.प.
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री शंभु प्रसाद गुप्ता
8	क्या विभागीय उच्चाधिकारी, वित्त विभाग द्वारा लेखा अभिलेखों का निरीक्षण किया गया था ?	नहीं
9	सामान्य अभ्युक्तियाँ	सामान्य रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था।
10	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया ?	हाँ, दिनांक 30.06.2014 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन नगर परिषद् डुमराँव द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गई है तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय, महालेखाकार (ले. प.), बिहार, पटना का नहीं होगा।

252

भाग– II
खण्ड– 'क' – शून्य
भाग– II 'ख'

कंडिका संख्या– 1 चापाकल योजना

चापाकल योजना (09 चापाकल) से संबंधित योजना संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

1. पत्र सं0 नगर विकास विभाग/180/30.03.11 से नगर परिषद् डुमरॉव को राशि ₹10,40,000/– प्राप्त हुई।
2. तत्पश्चात् चापाकल लगाने हेतु एक विज्ञापन दिनांक 20.03.12 को समाचार पत्र में निकाली गयी। पुनः सशक्त स्थायी समिति/निविदा समिति ने अपनी बैठक 02.04.12 में कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी।
3. निविदा के आधार पर संवेदक "जितेन्द्र कुमार सिंह" का चयन किया गया।
4. संवेदक द्वारा कार्य किया गया एवं कार्य के विरूद्ध संवेदक को भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि
01	251169	11.08.12	1,28,000/–
02	251171	17.09.12	81,300/–
03	251181	12.10.12	58,000/–
04	251183	02.11.12	81,000/–
05	251806	12.09.13	1,25,000/–
06	251838	18.09.13	2,82,000/–
07	251837	21.01.14	91,398/–
			8,46,698/–

5. मापी पुस्त विवरणी

1. अंतिम मापी – (1) 06.09.13 – 300013.83

(2) 04.12.13 – 91398.17

391412.00

मापी पुस्त पृष्ट सं0 5 के अनुसार – 07 एवं

मापी पुस्पत पृष्ट सं0 06 के अनुसार – 02

कुल 09 चापाकल लगाए गए।

6. 05 चापाकल का फोटो संचिका में लगा पाया गया।
7. वार्ड सं0 13 के वार्ड पार्षद द्वारा 01 चापाकल गाड़ने का प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि विभिन्न वार्ड पार्षदों द्वारा 11 चापाकल गाड़ने का अनुरोध किया गया।

8. प्राक्कलन के अनुसार प्रति चापाकल की राशि ₹50362/– थी।
9. संचिका में एक भी अभिश्रव/बिल संलग्न नहीं पाया गया।

अंकेक्षण आपत्ति–

1. प्रति चापाकल की राशि प्राक्कलन के अनुसार ₹50362/– थी, तथा मापी पुस्त के अनुसार कुल – 09 चापाकल लगाए गए, इस प्रकार कुल 9x50362= ₹453258/- का भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि संचिका के अनुसार ₹8,46,698/– का भुगतान किया गया। अतः ₹3,93,440/– का अधिक भुगतान हुआ, जो संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।
2. जब विभिन्न वार्ड पार्षदों द्वारा कुल 11 चापाकल गाड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, तो किस आधार पर 16 चापाकल लगाने की राशि निर्गत करने का आदेश दिया गया।
3. मापी पुस्त के अनुसार कुल 09 चापाकल लगाए गए, जबकि सिर्फ 01 चापाकल का प्रमाण पत्र संलग्न पाया गया। इस अन्तर के कारण से दल को अंकेक्षण की समाप्ति तक अवगत नहीं कराया गया।
4. पत्र सं0 नगर विकास विभाग/180/30.03.11 की छाया प्रति दल को उपलब्ध करायी जाए। दल यह जानना चाहता है, कि राशि चापाकल के लिए प्राप्त हुई थी, या पेय जलापूर्ति मद के लिए, मगर पत्र की छायाप्रति दल के समक्ष उपलब्ध नहीं करायी गयी ।
5. चापाकल लगाने का प्रस्ताव परिषद् के किस तिथि के साधारण बोर्ड में पारित किया गया था, प्रस्ताव की छायाप्रति उपलब्ध नहीं करवायी गयी।
6. समाचार पत्र में जो विज्ञापन निकाला गया, उसकी छायाप्रति संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी, छायाप्रति दल को उपलब्ध नहीं करवायी गयी।
7. दल यह जानना चाहता था, कि निविदा में कितने निविदा कर्त्ता ने भाग लिया, संचिका के अवलोकन से यह पता नहीं चल सका कि निविदा में कितने निविदादाता ने भाग लिया था, सूचना संचिका में अनुपलब्ध थी।

   कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि मापी पुस्त एवं आदेशफलक को मिलाकर संबधित संचिका के निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी, जवाब मान्य नहीं है क्योंकि संचिका का निष्पादन किया जा चुका था, अतः राशि 393440/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका संख्या–2 निरस्त

कंडिका संख्या– 3 सफाई उपकरणों का कय (राशि 78.44 लाख)

सफाई उपकरणों के क्रय से संबंधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

1. सशक्त स्थायी समिति ने अपनी बैठक दिनांक 28.06.13 के प्रस्ताव संख्या 01 में यह निर्णय लिया गया कि सफाई उपकरण 13वीं वित्त आयोग मद से सुप्रीम इन्टरप्राइजेज, कंकड़बाग,

250

पटना से खरीदा जाए। कार्यपालक पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि छपरा नगरपालिका की दर पर ही सफाई उपकरण खरीदा जाए।

2. सफाई उपरणों की सूची संख्या सहित विवरण निम्न प्रकार है। स्थायी समिति ने निम्नलिखित सामानों को खरीदने का निर्णय लिया।

क्र0सं0	नाम	संख्या
01	ट्रक चेचिस	01
02	ड़स्टवीन (1100 लीटर)	52
03	ड़स्टवीन (120 लीटर)	52
04	कम्पैक्टर (07 सीयुएम)	01

3. तत्पश्चात् डुमरॉव, नगर परिषद् ने सुप्रीम इन्टरप्राइजेज से पत्र द्वारा पूछा कि आप के द्वारा किसी अन्य नगर निकायों में सफाई उपकरणों की आपूर्ति की गयी है या नहीं। (पत्र सं0 228क/न0प0 दिनांक 02.08.13), जिसके आलोक में सुप्रीम इन्टरप्राइजेज ने छपरा एवं पूर्णिया नगर परिषद् द्वारा निर्गत किए गए आपूर्ति आदेश एवं टेण्ड़र कागजात नगर परिषद् डुमरॉव को उपलब्ध करवाया।

4. छपरा नगर परिषद् द्वारा निर्गत किए गए आपूर्ति आदेश की जॉच डुमरॉव नगर परिषद् द्वारा किए जाने के बाद सुप्रीम इन्टरप्राइजेज को उपरोक्त सामानों की आपूर्ति करने का आदेश निर्गत किया। 1. (पत्र सं0 278/30.07.13) 2. (पत्र सं0 1020/29.07.13)

5. आपूर्ति आदेश के आलोक में सुप्रीम ने निम्नलिखित सामानों की आपूर्ति की जिसका भंडार पंजी में इन्द्राज किया गया। विवरण इस प्रकार है –

क्र0सं0	सामान	संख्या	राशि	वैट दर	वैट राशि	कुल भंडार पंजी
01	ट्रक चेचिस	01	1088380/–	13.5	146932/–	07
02	ड़स्टवीन(1100लीटर)	52	2808000/–	13.5	379080/–	08
03	कम्पैन्टर(7 मनउ)	01	2200000/–	13.5	297000/–	07
04	डस्टबीन(120लीटर)	52	780000/–	13.5	105300/–	09
		कुल	6876380/–	कुल	928312/–7804692	
				इन्सोरेन्स–	39000	
				कुल–	7843692/–	

6. राशि का भुगतान विभिन्न चेकों के माध्यम से किया गया।

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	मद
1.	300102	4.8.2013	5,00,000/–	
2.	300103	6.8.2013	774312/–	
3.	610726	12.10.13	2500000/–	XIII FC
4.	610727	17.12.13	2508000/–	
5.	610728	28.12.13	780000/–	
		योगः–	7062312/–	
		वैट 13.5%	781380/–	
			7843692/–	

7. संचिका के आगे अवलोकन से पता चला कि 06.10.13 एवं 03.09.13 की तिथि में कार्यपालक पदाधिकारी एवं आपूर्ति कर्त्ता ने संयुक्त रुप से सामानों का निरीक्षण किया। यहॉ यह लिखना उचित होगा कि सयुंक्त निरीक्षण का स्थान अलवर (राजस्थान) एवं इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, गाजियाबाद (उ0प्र0) था।

अंकेक्षण आपत्ति

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (H) के अनुसार ₹25 लाख से उपर के सामानों की खरीदारी के लिए **Advertised tender enquiry** प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिसके तहत एक दैनिक सामाचार पत्र एवं **Indian Trade Journal, Director** में निविदा प्रकाशित की जानी चाहिए, तथा तीन से ज्यादा निविदादाता के निविदा आमंत्रण के उपरान्त ही दर की तुलनात्मक विवरणी तैयार करके सामान की खरीदारी पर विचार करना चाहिए परन्तु संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है, कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी, बल्कि किसी दूसरे नगर परिषद् के द्वारा अपनाए गए दर पर ही सामान की खरीदारी का आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट अभाव पाया गया।
2. सफाई उपकरण को खरीदने का निर्णय सशक्त स्थायी समिति ने अपनी बैठक दिनांक 28.06.13 को प्रस्ताव सं0 01 में ली। क्या उपर्युक्त सामानों को खरीदनें का निर्णय बोर्ड की आम सभा में कभी भी लिया गया था या नहीं, परन्तु बोर्ड की **Proceding** की **Xerx-Copy** दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा सशक्त स्थायी समिति ने किस आधार पर यह निर्णय लिया कि सफाई उपरकण सुप्रीम से ही खरीदे जाने चाहिए। सुप्रीम इंटप्राईजेज ही सही आपूर्तिकर्त्ता है, इस तथ्य की जानकारी सशक्त स्थायी समिति को कैसे हुई।
3. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर **Perfomance Security** के रूप में गांरटी अवधि तक कुल मूल्य की 05–10 प्रतिशत राशि **Security deposit** के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या

R48

असहमति होने पर राशि profit की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि न तो काटी गयी और न ही कार्यपालक पदाधिकारी स्तर से इस बिन्दू पर कोई टिप्पणी संचिका में दृष्टिगोचर हुई।

4. सभी सामान सुप्रीम इंटरप्राइजेज कंकड़ बाग, पटना से खरीदे गये। अतः बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, परन्तु ट्रक (चेचिस) की खरीद में ऐसा नहीं किया गया। संबंधित Retail invoice के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि वैट की राशि ₹1,96,932/– (13.5 प्रतिशत) की कटौती न कर राशि का कुल भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गयी राशि ₹196932/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।
5. संचिका के पृष्ट सं0 P/4N के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि Dustbin-120 Lt. कार्यालय को प्राप्त ही नही हुए, यह इस बात से भी प्रतीत होता है, कि दल के समक्ष उपस्थित भंड़ार पंजी के P/9 में कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। भंड़ार पंजी के अनुसार सामान अंकेक्षण की समाप्ति तक वितरित हीं नही की गयी थी।
6. वित्तीय औचित्य के अनुसार सरकारी राशि के खर्च करते समय सरकारी कर्मचारी को उतनी ही सावधानियॉ बरतनी चाहिए, जितनी वह अपने धन को खर्च करते समय बरतता है, एवं उसे वित्तीय औचित्य के उॅचे स्तर का पालन करना चाहिए, परन्तु इन सारी प्रक्रियाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बिहार वित्त नियमावली के नियमों का पालन नहीं किया गया।
7. ट्रक का लॉगबुक अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

   कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि नियमो की जानकारी के अभाव में गलतियाँ हुई छोटा डस्टबीन–120 लीटर कार्यालय को प्राप्त है परन्तु अभी तक स्टाक में ही रखा हुआ है किसी को निर्गत/ वितरण नहीं किया गया है ।

   अतःअधिक भुगतान की राशि ₹146932/– संबधित जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलनीय है एवं चूंकि डस्टवीन खरीदने के बाद बेकार रखी हुई है अतः राशि ₹780000/– का व्यय निष्फल हुआ तथा स्पष्ट जवाब प्राप्त होने तक शेष व्यय की गयी राशि ₹6916760/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या- 4 असमायोजित अग्रिम राशि ₹7.80 लाख

बिहार वित्त नियमावली के अनुसार प्रथम अग्रिम के समायोजन के पश्चात् ही अगला अग्रिम प्रदान किया जाना चाहिए, परन्तु नगर परिषद्, डुंमराव के लेखापाल राकड़ बही 2012–13 से 2013–14 के अवलोकन से यह पता चला कि विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी कार्यो के लिए राशि ₹779708/–अग्रिम के रुप में प्रदान की गयी (परिशिष्ट–3 पर)।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि कुछ अग्रिमों का समायोजन किया जा चुका है, परन्तु संबंधित रोकड़बही में इन्द्राज नहीं किया गया है,अतः अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जायगाा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए यह अनुरोध किया जाता है कि बाकी बचे अग्रिम के समायोजन की दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाये एवं फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए एवं रोकड़ बही में इन्द्राज कर अगले अंकेक्षण को दिखाना सुनिश्चित किया जाए।

कंडिका संख्या- 5 राशि का अवरोधन (₹38.79 लाख)

नगर परिषद्, डुमराव के अंकेक्षण के दौरान यह पता चला कि नगर विकास विभाग ने पत्र सं0 4533 दिनांक 29.08.2008 द्वारा राशि ₹3879075/– भवन निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की थी।

आगे संबधित रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि राशि अंकेक्षण की समाप्ति तक उपयोग में नहीं लायी गयी थी।

कार्यालय द्वारा जवाब में यह बताया गया कि अंचलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होने के कारण राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि राशि 2008 में ही प्राप्त हो चुकी थी एवं 2014 तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अंचलाधिकारी से पत्राचार की प्रति भी दल को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

राशि को उद्देश्यपूर्ण दिशा में खर्च करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कदम जल्द उठाए जाएँ एवं फलाफल से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाए।

कंडिका संख्या–6 होल्डिंग और विविध रसीद द्वारा वसूली गई राशि कम व नहीं जमा

नगर परषिद्, डुमराँव के अंकेक्षण के दौरान विभिन्न मनी रसीदों एवं होल्डिंग रसीदों की जांच मे पाया गया कि कुल वसूल किये गये राशि ₹925435 में से राशि ₹567679 अंकेक्षण के दौरान जमा दिखायी गयी हालांकि ₹239088 का ही साक्ष्य पाया गया एवं राशि ₹357756 अंकेक्षण की समाप्ति तक विभिन्न प्राप्तकर्ताओं द्वारा नहीं जमा की गयी। विवरणी इस प्रकार है–

क0 सं0	रसीद का प्रकार	रसीद सं0	दिनांक	राशि	अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि	अन्ततः नहीं जमा की गयी राशि	प्राप्तकर्त्ता का नाम
1.	होल्डिंग	3901–4000	11.2.13 से 2.3.13	29374	29374	शून्य	दुर्गेश कुमार
2.		4901–5000	13.3.13 से 5.6.13	57814	57814	शून्य	
3.		8101–8200	23.7.13–7.8.13	26820	26820	शून्य	
4.		8301–8400	30.8.13–9.12.13	22901	22901	शून्य	
5.		8601 – 8700	12.2.13 – 29.9.13	26869	26869	शून्य	
6.		8801–8900	20.2.13 –21.3.14	30910	30910	शून्य	
7.		7685–7699	22.5.13	4256	शून्य	4256	मोईन अहमद
8		7901–7999	7.6.13–23.7.13	19717	शून्य	19717	
9		8201–8293	27.8.13–20.12.13	28450	शून्य	28450	
10		8701–8765	14.1.14–14.3.14	15191	शून्य	15191	
11	विविध रसीद	1301–1400	19.7.12–12.4.13	65952	शून्य	65952	अजय कुमार राय
12		1401–1500	13.5.13–12.12.13	78659	शून्य	78659	दुर्गेश सिंह
13		1701–1800	12.11.13–10.3.13	54198	शून्य	54198	दुर्गेश सिंह
14	होल्ड़िग	7501–7600	29.3.13–31.3.13	20599	20599	शून्य	बिहारी सिंह यादव
15		8501–8600	10.12.13–20.2.14	30284	शून्य	30284	
16		8901–9000	20.3.14–30.4.14	24392	24392	शून्य	
17	विविध	1801–1900	11.3.14–25.5.14	48795	शून्य	48795	दुर्गेश सिंह
18	होल्ड़िग	7666–7672	30.3.13	239	शून्य	239	मोईन अहमद
19		7673–7684	30.3.13	4412	शून्य	4412	
20	विविध	1201–1300	25.10.11–2.6.13	335603	238000	7603	जीतन प्रसाद
			कुल		567679	357756	

क0सं0 18 एवं 19 में प्राप्त राशि ₹4651/– श्री मोईन अहमद द्वारा रोकड़पाल को 22.05.13 को जमा किया गया, परन्तु रोकड़पाल श्री अजय राय द्वारा इसे रोकड़बही में इन्द्राज नहीं किया गया फलतः उक्त राशि ₹4651/– रोकड़पाल से वसूलनीय है। क्रम सं0 20 में जमा की गई राशि ₹90000 के बैंक खाते में प्रविष्टि को लेखापरीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। अतः इसे अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाये।

कार्यालय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि नहीं व कम जमा राशि संबधित व्यक्तियों से वसूलकर जमा करा दी जायगी। जमा के फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

कंडिका संख्या–7 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय ₹21.33 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न से 01.1012/87–1231/न.वि.वि. दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई थी। परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि नगर परिषद्, डुमरांव में वर्ष 2012–13 से 2013–14 के दौरान रूपया ₹2132963/– दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया जो सरकार के दिशा–निर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– 5 पर संलग्न)

दैनिक मजदूरी पर किए गए व्यय की सरकार से मंजूरी नहीं ली गई।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मियो की कमी की वजह से दैनिक मजदूरों से जनहित में कार्य कराया जाता है। जवाब मान्य नहीं है, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ठेके द्वारा या स्वयंसेवी संगठन द्वारा कार्य कराया जा सकता है, अतः स्पष्ट जवाब प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि ₹2132963/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या– 8 मकान कर का बकाया राशि ₹4.11 लाख

मकान कर वसूलने का मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था, हालांकि नगर परिषद् द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ो से यह स्पष्ट होता है कि 31.03.2014 तक मकान कर के रूप में राशि ₹411211/– बकाया थी।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127–13 के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में होल्डिग के वार्षिक मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण होना चाहिए था, मगर प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चला कि होल्डिग कर का पुनरीक्षण वर्षो से नहीं हुआ है।

कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि भवन कर बकाया राशि की वसूली जल्द से जल्द की जायेगी।

कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि मकान कर के रूप में बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं एवं मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

कंडिका संख्या–9 सैरातों की बन्दोवस्ती नहीं करने के फलस्वरूप न्यूनतम राजस्व हानि ₹2.12 लाख

नगर परिषद् डुमरॉव द्वारा सैरात पंजी का संधारण नही किया गया था। परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई मात्र एक संचिका "सैरात बस ट्रक एवं अन्य 2011–12" के अवलोकन से यह ज्ञात नही हो सका कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में सैरातों की बन्दोवस्ती की गई थी या नही।

लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं को स्पष्ट नहीं किया गया।

1. सैरात पंजी का संधारण क्यों नही किया गया। पंजी का संधारण नहीं किये जाने से सैरातों की सही संख्या ज्ञात नही की जा सकी।

2. उपलब्ध कराये गये संचिका से स्पष्ट था कि वर्ष 2011–12 मे ट्रक, बस ,जीप, ट्रैक्टर, मैजीक भान, मीनीबस, टेम्पू वाहन से वसूली हेतु बन्दोवस्ती की गई थी जिसकी अधिकतम बोली ₹10,6000 लगाई गई थी और श्री जितेन्द्र कुमार को बन्दोवस्तधारी नियुक्त किया गया था। मौखिक रूप से बताया जा रहा है कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में किसी भी सैरातों की बन्दोबस्ती नही की गयी थी।
3. सैरातों के बन्दोवस्ती के लिए किये गये सकारात्मक प्रयास से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।
4. कुल कितने सैरात थे और उनकी बन्दोवस्ती क्यों नही की जा रही थी, इसे स्पष्ट नहीं किया गया।
5. सैरात किसी भी स्थानीय निकाय की आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। अतः नगर परिषद् द्वारा सैरातों की बन्दोवस्ती का उचित प्रयास नहीं करने से नगर परिषद् को प्रतिवर्ष राजस्व की हानि उठानी पड़ी।

   कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि जनविरोध के चलतें उक्त बन्दोबस्ती एकबार होने के बाद नहीं हो रही है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि सैरातो की बन्दोबस्ती की दिशा में आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाये जाएँ क्योकि सैरात राजस्व आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका संख्या–10 राशि को सम्बन्धित शीर्ष में जमा नहीं किया जाना ₹3.19 लाख

वर्ष 2012–13 कें बी0आर0जी0एफ0 एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की विवरणी से स्पष्ट था कि विभिन्न मदों में काटी गई राशि संबंधित राजस्व शीर्ष मे जमा नहीं की गयी थी। विवरणी इस प्रकार है–

क0सं0	मद	वर्ष	वैट	आयकर	रॉयाल्टी	लेबर शेष
1	बी0आर0जी0एफ	2012–13	144161	60090	40524	28820
2	चतुर्थ राज्य वित्त योजना	2012–13	23185	9274	8362	4637
कुल			167346	69364	48886	33457

(विस्तृत विववरणी परिशिष्ट– 7 पर)

कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि कटौती की गयी राशि संबंधित शीर्ष में जमा करा दी जायेगी।